



राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत NATIONAL BOOK TRUST, INDIA

नेहरू भवन, 5 इंस्टीट्यूशनल एरिया, फेज-2,
वसंत कुंज, नई दिल्ली-110070

F.No. 06-03/2012/Estt./

21st December, 2022

Circular

Subject: Revision of rates of subscription under Central Government Health Scheme due to revision of pay and allowances of Central Government employees and revision of pension/ Family pension on account of implementation of recommendations of the Seventh Central Pay Commission.

This is to bring to the kind notice of all serving and retired employees of the Trust that Government of India, Ministry of Health & Family Welfare, Department of Health & Family Welfare (EHS Section) vide their Office Memorandum F.No. S.11011/11/2016-CGHS(P)/EHS dated 28th October, 2022 has revised the entitlement of ward in private hospitals empanelled under CGHS with effect from 28/10/2022 (copy enclosed). The details of the entitlements are as under:


S.No.	Corresponding Basic Pay drawn by Officer in 7 th CPC per month	Ward Entitlement
1.	Upto Rs. 36,500	General
2.	Rs. 36,501 to Rs. 50,500	Semi-Private
3.	Above Rs. 50,500	Private

All entitled employees as well as pensioners of the Trust may apply for revision/change of ward entitlement in their CGHS cards (form is also attached herewith for further necessary action) as per their entitlement within 15 days from the date of issue of this circular. Those who are already in entitled ward need not apply for revision.

In order to implement it in the Trust, all entitled employees needs to attach the following self attested documents with prescribed form:

1. Latest Photograph of Principal Card Holder and dependents
2. Latest Pay Slip/ Pension revision order
3. Aadhar Card
4. Copy of CGHS Cards

This issues with the approval of the Competent Authority.


21/12/22
(Subhashis Dutta)
Assistant Director (Estt.)

Copy to:

1. All Sectional Heads
2. AD (Accounts)
3. Dealing Hand (Pension)
4. PS to Chairman
5. PA to Director
6. PA to JD(A&F)
7. CGHS File
8. Notice Board
9. E-Office

सेवा में रहते हुए केसस्वायो कार्ड सं० / CGHS Card No While in Service-----

फार्म 'बी'

केन्द्रीय सरकार के पेंशनरों के लिये केसस्वायो कार्ड हेतु आवेदन पत्र
APPLICATION FOR CGHS CARD FOR PENSIONERS OF CENTRAL GOVERNMENT

Form *B*

1. आवेदक का नाम / Name of the Applicant.....
2. श्रेणी / Category :.....पेंशनर / Pensionersअन्य Other (कृपया उल्लेख करें)(PI- Specify))
3. विभाग / सेवा का नाम जहां से सेवा निवृत्त हुए
Name of the Department/Service from where retired.....
4. अंतिम वेतन / Last Pay मूल पेंशन / Basic pension.....
(पेंशनर के मामले में / in case of pensioners)पूर्व संशोधित / Pre revised.....
5. आवासीय पता / Residential Address.....
6. दूरभाष सं० / Telephone Number:
(आ / R).....(मो / M).....
7. ई-मेल आई डी / e-mail ID.....
8. अधिवर्षिता की तिथि / Date of Superannuationदिनांक / Dateमाह / Monthवर्ष / Year
9. परिवार का ब्यौरा / Details of Family
(*यह कालम भरने से पहले परिवार की परिभाषा देख लें / Please see definition of Family before filling up this column)

क्र.सं० S.No	परिवार के सदस्यों के नाम / Name of Family member	केसस्वायो कार्डधारी के साथ संबंध / Relationship to CGHS Card Holder*	जन्म तिथि / Date of Birth# (अनिवार्य / Compulsory)	ब्लड ग्रुप / Blood Group (ऐच्छिक / optional)
		स्वयं / self		

(# कृपया उपरलिखित व्यक्तियों के आयु का प्रमाण साथ लगाएं / Please attach proof of age of persons mentioned above)

10 क्या ऊपर जिन व्यक्तियों के नाम दिए गए हैं वे आप पर आश्रित हैं और आपके साथ रहते हैं?:
हाँ / नहीं

Are all the persons whose names are given above are dependant upon you and are residing with you?: Yes/No

(कृपया उनका आपके साथ रहने का प्रमाण साथ लगाएं जैसाकि राशन कार्ड / निर्वाचन पहचान पत्र / पास पोर्ट / कालेज / स्कूल / विश्वविद्यालय द्वारा जारी पहचान पत्र / बैंक की पास बुक आदि की प्रति)

Please attach proof of their staying with you, like copy of Ration card/Election ID/Pass Port/Identity Card issued by college/school/University/Bank Pass Book, etc)

11. नीचे दिए गए स्थान पर (स्वयं सहित)परिवार के प्रत्येक सदस्य जिनके नाम(दोनों भाषाओं में) आपके परिवार के भाग के रूप में सम्मिलित किए जाने हैं की पहचान पत्र आकार की एक फोटोग्राफ चिपकाएं(नाम दोनों भाषाओं में लिखें)Paste one ID card size of Photograph of each member of Family(including self) whose names are proposed to be included as part of your family in the space given below(Names should be written in both the languages):

कसं0S.No.....	कसं0S.No.....	कसं0S.No.....	कसं0S.No.....
नाम	नाम	नाम	नाम
Name	Name	Name	Name

कसं0S.No.....	कसं0S.No.....	कसं0S.No.....	कसं0S.No.....
नाम	नाम	नाम	नाम
Name	Name	Name	Name

मैं वचन देता हूँ कि इस आवेदन फार्म में सम्मिलित मेरे परिवार के सदस्यों के आश्रित मानदण्ड में यदि कोई बदलाव आता है तो मैं केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना को तत्काल सूचित करूंगा। यदि मैं सूचित करने में असफल होता हूँ और यदि केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना को बदलाव के बारे में पता लग जाता है तो के.स. स्वा.यो द्वारा केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की सुविधाएं वापिस लें ली जाएंगी और केसस्वायो और/या उचित प्राधिकारी को छूट होगी वह मेरे विरुद्ध कोई भी कार्रवाई कर सकता है।

I undertake to intimate to CGHS immediately if there is any change in dependency criteria of my family members included in this application form. If I fail to intimate and if the CGHS comes to know of the change then the CGHS facility is liable to be withdrawn by the CGHS and the CGHS and/or appropriate authority will be free to initiate any action against me.

मैं वचन देता हूँ कि केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की सुविधा की पात्रता न होने पर, मैं के0स0स्वा0यो0 कार्ड सौंप दूंगा।

I undertake to surrender the CGHS Card(s) on ceasing to be eligible for CGHS benefits.

मैं प्रमाणित करता हूँ कि इस आवेदन में मेरे द्वारा दी गई सूचना जाँच करने पर ठीक पाई गई और कोई सूचना छुपाई नहीं गई है या गलत तरीके से नहीं दी गई है और मैं इसके लिए पूर्ण जिम्मेदार हूँ।

I certify that the information furnished by me in this application has been verified to be correct and that no information has been concealed or has been misrepresented and I stand by the same.

अनुलग्नक / Encl:—आवासीय/आश्रितों के साथ रहने का प्रमाण / Proof of Residence/Stay of dependents
पुत्र की आयु का प्रमाण/विकलांगता प्रमाण पत्र /Proof of age of son/Disability certificate
सेवा में रहते हुए के केसस्वायो कार्ड के समर्पण का प्रमाण पत्र /Surrender Certificate of CGHS Card while in service
पीपीओ तथा अंतिम वेतन प्रमाण पत्र की अनुप्रमाणित प्रतियां /Attested copies of PPO & Last Pay Certificate

:3:

अदाकर्ता बैंककी शाखा.....पर आहरित रु0.के
लिये डिमाण्ड ड्राफ्ट सं0...../पोस्टल ऑर्डर सं0.....
दिनांक.....संलग्न है।

Enclosed DD bearing No.....dated.....drawn on Bank.....
Branch...../Postal OrderNo.....for Rs.....

आवेदक के हस्ताक्षर / Signature of Applicant

सेवा मे / To

अपर निदेशक,केसस्वायो(मुख्यालय),9 बीकानेर हाऊस हटमेंट्स,शाहजहां रोड,नई दिल्ली।

The Additional Director, CGHS (HQ), 9-Bikaner House Hutments, Shahjahan Road, New Delhi.

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता ,केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना(मुख्यालय) द्वारा सत्यापित

...../...../...../ तक वैध/आजीवन काल के लिये

Verified- by Authorized Signatory, CGHS (HQ) valid upto/...../...../ For Rest of Life.

आबंटित सम्पूर्ण स्वास्थ्य केन्द्र / CGHS Wellness Centre Allotted

(* केसस्वायो द्वारा भरा जाए / to be filled by CGHS)

पात्रता: जनरल वार्ड / सैमी-प्राइवेट वार्ड / प्राइवेट वार्ड
Entitlement General Ward / Semi Private Ward / Private Ward

हस्ताक्षर / Signature

अनुदेश
INSTRUCTIONS

परिवार की परिभाषा / Definition of Family

- (1) पति/Husband/ पत्नी/Wife (केवल पहली पत्नी First wife only) *
- (2) आश्रित माता पिता /सौतेली माँ (यदि दत्तक हैं, केवल दत्तक और असली माता पिता नहीं)
Dependent Parents/Step Mother(In case of adoption,only adoptive & not real parents)
- (3) यदि दत्तक पिता की एक से अधिक पत्नियां हैं, केवल पहली पत्नि।
If adoptive father has more than one wife, the first wife only.
- (4) महिला कर्मचारी के लिये अपने आश्रित माता-पिता या आश्रित सास-ससुर को सम्मिलित करने का विकल्प हैं; सेवा काल के दौरान विकल्प केवल एक बार बदला जा सकता है।
A female employee has a choice to include either her dependent parents or her dependent parents-in law; option exercise can be changed only once during service.
- (5) बच्चे: निम्नलिखित शर्तों के रहते हुए कानूनन सम्मिलित दत्तक बच्चे,सौतेले बच्चे,सरक्षता के लिए लिए गए बच्चे सम्मिलित हैं।

Children including legally adopted children, step children and children taken as wards subject to the following conditions:

(i)	पुत्र / Son	कमाना शुरु करने या 25 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक जो भी पहले हो। Till he start earning or attains the age of 25 years,whichever is earlier
(ii)	पुत्री /Daughter	कमाना शुरु करने या शादी हो जाने तक,आयु की कोई सीमा नहीं, जो भी पहले हो Till she start earining or gets married,irrespective of the age limit,whichever may be earlier.
(iii)	पुत्र किसी भी तरह की स्थाई विकलांगता से पीड़ित(शारीरिक या मानसिक)जैसा कि नीचे परिभाषित है Son suffering from any permanent disability of any kind(Physical or mental) as defined below	कोई आयु सीमा नहीं Irrespective of age limit,
(iv)	आश्रित तलाकशुदा/परित्यक्ता या अपने पति से अलग/विधवा लडकियां और आश्रित विवाहित/तलाकशुदा/परित्यक्ता या अपने पति से अलग/ विधवा बहनें Dependent divorced/abandoned or separated from their husband/widowed daughters and dependent unmarried/divorced abandoned or separated from their husband/widowed sisters.	कोई आयु सीमा नहीं Irrespective of age limit
(v)	आश्रित अवस्यक भाई Dependent Minor brother(s)	व्यस्क होने की आयु तक Upto the age of becoming a major,

25 वर्ष से ऊपर विकलांग पुत्र के लिए केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की सुविधाएं प्राप्त करने हेतु कृपया सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी विकलांगता का प्रमाण-पत्र संलग्न करें।

For the purpose of availing CGHS facility for a disabled sons above 25 years,
Please attach a cocy of the certificate of disability issued by the competent authority.

विकलांगता: विकलांग व्यक्ति(सामान्य अवसर, अधिकारों की सुरक्षा तथा पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995(1996 का 1) की धारा 2(1) में निर्धारित विकलांगता होगी जो कि नीचे प्रस्तुत की गई हैं:

'Disability': will be As DEFINED IN SECTION 2(1) OF THE PERSONS WITH DISABILITIES (EQUAL OPPORTUNITIES PROTECTION OF RIGHTS AND FULL PARTICIPATION) ACT, 1995 (NO: 1 of 1996) WHICH IS REPRODUCED BELOW:

विकलांगता का अर्थ

"DISABILITY MEANS

- (I) अंधापन /BLINDNESS
- (II) कम दिखना /LOW VISION
- (III) उपचारित कुष्ठ / LEPROCY CURED
- (IV) सुनना बन्द हो गया है / HEARING IMPAIRMENT
- (V) चलने फिरने में कठिनाई /LOCOMOTOTR DISABILITY
- (VI) मानसिक अवरुद्धता / MENTAL RETARDATION
- (VII) दिमागी बीमारी /MENTAL ILLNESS
- (VIII)

आश्रिता / Dependency:

परिवार के सदस्य (पति /पत्नी को छोड़कर)जिनकी मासिक आय 3500 /-+ महंगाई भत्ता से कम है उनको आश्रित समझा जाए और जो सामान्यतः केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना लाभार्थी के साथ रहते हैं।

Members of family (other then spouse)whose income is less than Rs.3500/-+DA per month are treated as dependents and are normally residing with CGHS beneficiary.

निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न किए जाएं।

The Following Documents are to be enclosed:

- (1) आवासीय प्रमाण /आश्रितों का निवास—(राशन कार्ड / निर्वाचन पहचान पत्र /पास पोर्ट /कालेज, स्कूल, विश्वविद्यालय द्वारा जारी पहचान पत्र /बैंक पास बुक आदि की प्रति)
Proof of Residence /Stay of dependents- (copy of Ration Card/ Election ID/Pass Port/ Identity Card issued by College/ School/University/Bank Pass Book, etc.)
- (2) पुत्र की आयु का प्रमाण / Proof of age of son
- (3) सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण -पत्र की सत्यापित प्रति(यदि आश्रित पुत्र की आयु 25 या उससे अधिक हैं)
Attested copy of Disability certificate issued by Competent Authority(in case of dependent son aged 25 and above)

पेंशनर के लिये जो पहली बार केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना कार्ड के लिए आवेदन कर रहे हैं, निम्नलिखित अतिरिक्त दस्तावेज चाहिए:

For Pensioners applying for CGHS card for the First time the following Additional Documents are required:

- (4) सेवा कालीन केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना कार्ड सौंपने का प्रमाण पत्र।
- (5) Surrender Certificate of CGHS Card while in service.
पेंशन अदायगी आदेश /अन्तिम वेतन प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति।
Attested copy of PPO& Last Pay Certificate

पेंशनर द्वारा अंशदान "वेतन एवं लेखा अधिकारी, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, नई दिल्ली" के नाम दिल्ली में देय बैंक ड्राफ्ट (अधिसूचित बैंक) द्वारा जारी किया जाना चाहिए।

Contribution by Pensioners should be made by Bank Draft (Scheduled Banks) payable in Delhi in favour of Pay & Accounts Officer CGHS, Delhi,